महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03–03–2015 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 03–03–2015 को अपराह्न 03:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0एन0चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्षा, शिक्षा संकाय	–	सदस्य
4.	डॉ0 चतुर्भुजनाथ तिवारी, (प्रतिनिधि) संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी संकाय	–	सदस्य
6.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय	–	सदस्य
7.	प्रो0 आर0 पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
8.	डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया	–	सदस्य
9.	डॉ0 अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, संतरविदास नगर (भदोही)	–	सदस्य
10.	डॉ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ0 श्रीरंग नाथ मिश्र, महामंत्री–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
12.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01 **(a.)** परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 में परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त निर्णय संख्या–06(i) के अन्तर्गत सामूहिक नकल में आरोपित अधोलिखित महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण मा0 कुलपति जी द्वारा नियुक्त दो–दो परीक्षकों से कराने के पश्चात् प्राप्त आख्या पर विचार।

1. माँ खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चहनियॉ, चन्दौली (208)
2. बसंत राम नगीना स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली (214)
3. राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर (426)

निर्णय : **परीक्षा समिति ने परीक्षकों से प्राप्त आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मां खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चहनियां चन्दौली (208) के बी0एस–सी0, तृतीय खण्ड, गणित–चतुर्थ प्रश्नपत्र एवं बसंत राम नगीना स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली (214) के बी0एस–सी0–द्वितीय खण्ड, गणित–द्वितीय प्रश्नपत्र में सामूहिक नकल में होने की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त करते हुए एवं प्रत्येक महाविद्यालय पर रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र) अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया। परीक्षा समिति ने परीक्षको द्वारा दी गयी संस्तुति के आलोक में मां खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चहनियां चन्दौली (208) के**

बी0एस–सी0, गणित–प्रथम खण्ड एवं बी0एस–सी0, जन्तु विज्ञान, प्रथम एवं तृतीय खण्ड तथा बसंत राम नगीना स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली (214) का बी0एस–सी0, गणित, प्रथम खण्ड एवं तृतीय खण्ड व बी0एस–सी0, जन्तु विज्ञान, प्रथम खण्ड एवं तृतीय खण्ड तथा श्री राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर (426) का बी0एस–सी0 प्रथम खण्ड–कम्प्यूटर साइंस में सामूहिक नकल की पुष्टि न होने के कारण परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।**

(b.) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 के निर्णय संख्या–06(ii) के निर्णयानुसार पं0शान्ति भूषण महाविद्यालय, गजोखर, वाराणसी के सन्दर्भ में उड़ाका दल संयोजक से प्राप्त की गई आख्या पर विचार।

निर्णय : **समिति ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.08.2014 के निर्णय संख्या–2(ख) एवं दिनांक 17.01.2015 के आलोक में उड़ाकादल के संयोजक से प्राप्त आख्या पर विचार कर पं0शान्ति भूषण महाविद्यालय, गजोखर, वाराणसी के बी0 ए0–तृतीय खण्ड–भूगोल, के परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल का दोषी मानते हुए उनका परीक्षाफल निरस्त करते हुए महाविद्यालय पर रू0 3,00,000/– अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया।**

(c.) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14–10–2014 के निर्णय संख्या–01(ग) के निर्णयानुसार उपसमिति द्वारा उड़ाका दल एवं केन्द्राध्यक्ष हेतु निर्धारित गाइड–लाइन (दिशा–निर्देश) पर विचार।

निर्णय : **समिति ने उप समिति द्वारा प्रस्तुत उड़ाकादल एवं केन्द्राध्यक्ष हेतु निर्धारित गाइड–लाइन (दिशा–निर्देश) को आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदित किया।**

अध्यक्ष की अनुमति से –

कार्य सूची–02 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध मौखिकी सम्पन्न होने के उपारान्त अधोखिलित शोधार्थियों को उपाधि प्रदान किए जाने पर विचार।

विषय :– हिन्दी

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री आराधना यादव ARADHANA YADAV	प्रो0 अवधेश सिंह	नई कविता : परिवेश और मूल्य	21–01–2015
2.	सुश्री सीमा रानी भारती SEEMA RANI BHARTI	डॉ0 मुनीन्द्र तिवारी	हरिवंश राय बच्चन के काव्य में प्रेम और सौन्दर्य	21–01–2015
3.	श्री आशुतोष तिवारी ASHUTOSH TIWARI	डॉ0 मुनीन्द्र तिवारी	सियारामशरण गुप्त के साहित्य में गांधीवादी चिन्तन	27–01–2015

विषय :– संस्कृत

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री माधुरी MADHURI	प्रो0 गयाराम पाण्डेय	श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कन्ध का धार्मिक एवं दार्शनिक अनुशीलन	10–02–2015

विषय :– दर्शनशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री दीपिका कुमारी DEEPIKA KUMARI	डॉ0 विष्णुदत्त पाण्डेय	अद्वैत वेदान्त में जीव का स्वरूप	19–01–2015

विषय :– समाजशास्त्र

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री वन्दना राव VANDANA RAO	डॉ0 पुरूषोत्तम पाण्डेय	रेलवे कुलियो की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनकी समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	15–12–2014
2.	सुश्री वाई0बी0मल्लेश्वरी Y.B.MALLESHWARY	डॉ0 पुरूषोत्तम पाण्डेय	दलितों पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	14–02–2015

विषय :– समाजकार्य

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री शशि कान्त सिंह SHASHI KANT SINGH	प्रो0 रामचन्द्र पाठक	समकालीन कार्मिक प्रबन्ध : चुनौतियाँ एवं समस्याएं	14–02–2015
2.	श्री अरूण कुमार सिंह ARUN KUMAR SINGH	डॉ0 निमिषा गुप्ता	Role of H.R.D. in the organization success (Special reference to performance appraisal, training & kaizen)	28–01–2015
3.	श्री अमित चन्द्र AMIT CHANDRA	डॉ0 भावना वर्मा	Socio-Economic Study of the Impact of Public Policies on Cycle Rickshaw Pullers : Problems, Policies and Programmer (With special reference to Delhi)	23–01–2015

विषय :– मनोविज्ञान

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री अंशुमा सिंह ANSHUMA SINGH	डॉ0 राजेन्द्र सिंह	HARDINESS, COPING STRATEGIES AND SOCIAL SUPPORT AS MODERATORS OF LIFE STRESS AND LEVELS OF DEPRESSION IN ULCER PATIENTS	26–02–2015

विषय :– शारीरिक शिक्षा

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री संजय कुमार SANJAY KUMAR	डॉ0 सुशील कुमार गौतम	योगासन और प्राणायाम का शरीर क्रिया के अवयवों पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन	18–02–2015

निर्णय : **समिति ने उपरोक्त शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने की संस्तुति प्रदान किया।**

कार्य सूची–03 अध्यक्ष, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन के पत्र दिनांक 16.02.2015 जो परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में एक समान व्यवस्था रखने से सम्बन्धित पत्र पर विचार।

निर्णय : **समिति ने विचार कर निर्णय लिया कि भविष्य में समन्वय समिति से प्राप्त सुझाव भी लिए जाएगें।**

कार्य सूची–04 संकलन केन्द्रों की आकस्मिक जांच करने पर विचार।

निर्णय : **समिति ने संकलन केन्द्रों पर समय से प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने की स्थिति का अवलोकन करने हेतु डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय–प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा पी0 जी0 कालेज, बलिया को अधिकृत किया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

पत्रांक : प0गो0 / 11016 / परीक्षा समिति / 2015 तद् दिनांक : 09 मार्च, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य / अनुचित साधन प्रकोष्ठ।
6. सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
7. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य / परीक्षा गोपनीय / समिति अनुभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

ह0
परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

केन्द्राध्यक्षों के लिए आवश्यक निर्देश

वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़ाकादल को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जायेगा।
2. केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही, प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का मिलान तिथिवार, प्रश्न पत्रवार अवश्य कर लेंगे। यदि प्रश्न पत्र कम है तो वाहक भेज कर प्रश्न पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा।
3. परीक्षा से आधे घण्टे पूर्व तीन पर्यवेक्षकों (केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष निरीक्षक) के समक्ष प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जायेगा तथा प्रश्न पत्र खोलने हेतु अंकित निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा अवधि में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार होगा तथा परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर प्रबन्धक/प्रबन्धतंत्र का प्रवेश निषेध होगा। यदि प्रबंधक/प्रबंध तंत्र के लोग वहॉ पर प्रविष्ठ होते है तो केन्द्राध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(a). केन्द्राध्यक्ष 20 परीक्षार्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक तथा एक कक्ष में कम से कम 02 कक्ष निरीक्षक नियुक्त करेंगे।

(b). केन्द्राध्यक्ष परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति मानक के अनुसार करेंगे।

5. परीक्षा के मात्र आधे घण्टे पूर्व ही परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र पर गहन तलाशी ली जायेगी जिसमें आन्तरिक उड़ाकादल/कक्ष निरीक्षक अपना सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा केन्द्र में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा तथा उन्हें परिसर से 200 मीटर की दूरी पर रहना होगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्राध्यक्ष सम्बन्धित थाना पर रिपोर्ट करेंगे।
6. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रानिक गैजेट, मोबाइल, कैलकुलेटर, असलहा तथा अन्य किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **इस सम्बन्ध में उड़ाका दल को दिए गए निर्देशों को भी समस्त केन्द्राध्यक्ष भली–भॉति पढ़ लेंगे तथा तद्नुसार उड़ाका दल को सहयोग प्रदान करेंगे। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
7. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे विलम्ब से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु आधे घण्टे के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के तहत अनुचित साधन प्रयोग की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है और सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा अध्यापक को डराने–धमकाने का कार्य एवं अभद्र व्यवहार किया गया है तो अनुचित साधन के साथ–साथ सुसंगत विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
9. नकल में आरोपित छात्रों से पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को लेकर पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका दी जायेगी तथा परीक्षा समाप्त होने पर नकल में पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका तथा पुनः दी गई 'अ' उत्तर पुस्तिका दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ नत्थी कर लिफाफे में सील करने के उपरान्त लिफाफे के उपर अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिका तथा कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र, छात्रों के अनुक्रमांक, महाविद्यालय का नाम व कोड संख्या, परीक्षा केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा।

.............2

10. यदि कोई परीक्षार्थी पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से मना करता है तो एक ही पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका सील कर भेजी जायेगी तथा उसमें उल्लेख किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से इंकार किया।

11. यदि किसी परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति परीक्षा देते हुए पाया जायेगा तो उस व्यक्ति के विरूद्ध केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी तथा सम्बन्धित परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

12. अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए परीक्षार्थियों का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A में उड़ाका दल के लिए आवश्यक निर्देश के बिन्दु संख्या–06(a से d तक) में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य अवश्य भराया जायेगा। यदि परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक / केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। यदि कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं लिखी जाती है तो उड़ाका दल की संस्तुति अंतिम रूप से मान्य होगी।

13. गोपनीय प्रपत्र KV-8A को पूरित करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के साथ बरामद नकल सामग्री का उल्लेख प्रपत्र पर करते हुए नत्थी करके प्रत्येक नकल सामग्री पर केन्द्राध्यक्ष मुहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। छात्र / छात्रा की दोनों उत्तर–पुस्तिकाएं एवं नकल सामग्री एक साथ एक अलग पैकेट में रखकर उनकी सूची कक्षावार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार तैयार कर महाविद्यालय के वाहक द्वारा विश्वविद्यालय (उपकुलसचिव–अनुचित साधन प्रकोष्ठ) में अथवा संकलन केन्द्र पर उसी दिन अवश्य प्राप्त करा दिया जायेगा।

14. परीक्षा कक्ष में अस्त्र–शस्त्र, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर पूर्णतया प्रतिबन्धित है। परीक्षार्थियों के पास उपर्युक्त यंत्र पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी को नकल में आरोपित कर उक्त यंत्रो का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A भरने के उपरान्त विवाद का निस्तारण होने तक केन्द्राध्यक्ष अपने पास सील करके सुरक्षित रखेंगे।

15. परीक्षा केन्द्र में सामूहिक नकल की सूचना प्राप्त होने पर महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ ही परीक्षा समिति के निर्णयानुसार आर्थिक दण्ड एवं उनकी शेष परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र अथवा किसी अन्य केन्द्र पर करायी जायेगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं वहन करेंगे।

16. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 के बिन्दु संख्या–06(III) के निर्णयानुसार उड़ाका दल द्वारा नकल के सम्बन्ध में की गई संस्तुति को अन्तिम मानते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

17. सामूहिक अथवा समूह नकल के आरोपित महाविद्यालय की उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और परीक्षा समिति के निर्णय के अनुरूप निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित परीक्षा केन्द्र को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

18. नकल में आरोपित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र को कम से कम तीन वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।

19. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु केन्द्रो से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केन्द्र पर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर से भी उनसे सम्पर्क कर सुरक्षा बल प्राप्त करेंगे।

20. बण्डल में उत्तर–पुस्तिकाएं अनुक्रमांक के क्रमानुसार रखी जायेंगी। प्रत्येक बण्डल में 100 उत्तर–पुस्तिकाओं पर एक प्रश्न–पत्र अवश्य रखा जायेगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर–पुस्तिकाओं के बण्डल प्रत्येक दशा में उसी दिन संकलन केन्द्र को प्राप्त करा दिये जायेंगे।

21. जिन प्राध्यापकों / कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी परीक्षा देने हेतु उक्त परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित हो रहे हों, उनकी ड्यूटी परीक्षा में किसी भी स्थिति में नहीं लगाई जायेगी।

.............3

22. उत्तर–पुस्तिकाएं सफेद कपड़े में ही पैक की जाएंगी तथा वैकल्पिक विषयों की उत्तर–पुस्तिकाओं के पैकेट कैच संख्या के अनुसार अलग–अलग तैयार किए जायेंगे तथा पैकेट के ऊपर कैच संख्या अंकित किया जाना आवश्यक होगा। बण्डल के साथ अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं अन्य विवरण अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।
23. **केन्द्राध्यक्ष प्रत्येक पाली का सीटिंग चार्ट एवं उपस्थिति प्रपत्र (KV-5) उत्तर पुस्तिका के बण्डल के साथ उसी दिन संकलन केन्द्र पर निश्चित रूप से प्राप्त करायेंगे।**
24. जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, उन परीक्षा केन्द्रों के छात्र/छात्राओं को मिश्रित रूप से परीक्षा कक्ष में बैठाया जायेगा।
25. प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएं सम्पन्न होने के पश्चात् उनका अंकपर्ण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कराया जायेगा।
26. सम्बन्धित विषय के अध्यापक की कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी।
27. केन्द्राध्यक्ष हेतु अनुमति कुलपति कार्यालय करेगा तथा इसके लिए पहचान पत्र एवं फोटो जमा करने के बाद अनुमोदन किया जायेगा।
28. कक्ष पर्यवेक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को फोटो सहित उपलब्ध कराई जायेगी, यदि कक्ष पर्यवेक्षक अन्यत्र से लिए जायेगे तो उनका भी फोटो कुलपति कार्यालय द्वारा अनुमोदित कराना होगा।
29. परीक्षार्थी यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पुस्तिका लिखते पाये जायेगे तो उस महाविद्यालय को सामूहिक नकल का दोषी माना जायेगा।
30. केन्द्राध्यक्ष परीक्षा भवन की खिड़कियो के आस एवं परिसर में प्रति पाली सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
31. नकल विहीन एवं शूचितापूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा।
32. **आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है :–**

    परीक्षा गोपनीय (प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के सम्बन्ध में) – 9565858000, 9450084888

    परीक्षा सामान्य (सीटिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में) – 0542–2220892

*****

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

उड़ाका दल के लिए आवश्यक निर्देश

1. आप अवगत हैं कि परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करावें तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़ाकादल को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा। केन्द्राध्यक्ष के दण्ड निर्धारण हेतु परीक्षा समिति निर्णय करेगी।
2. उड़ाका दल के नामित किसी सदस्य के अनुपस्थित रहने या कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर संयोजक किसी अन्य सदस्य को नामित करेगे तथा नये सदस्य का नाम कुलपति महोदय से अनुमोदित कराकर टीम के समन्वयक को अवगत कराएंगे।
3. संयोजक उड़ाकादल की प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला सदस्य को अवश्य रखेंगे तथा महिला सदस्य का नाम कुलपति महोदय से अनुमोदित कराएंगे।
4. संयोजक उड़ाकादल परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में समन्वयक उड़ाका दल टीम से गोपनीय आख्या प्राप्त कर संलग्न प्रोफार्मा पर प्रति सप्ताह उपकुलसचिव (प्रशासन)/परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेंगे।
5. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो टीम के समन्वयक इसकी सूचना फैक्स या दूरभाष के माध्यम से संयोजक/परीक्षा नियंत्रक/कुलपति को तुरन्त भेजेंगे।
6. संवेदनशील/अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों का संयोजक विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के बारे में समन्वयक सामूहिक नकल/समूह में नकल होने की स्पष्ट संस्तुति करेंगे।

(a). उड़ाका दल के सदस्य परीक्षा कक्ष में यदि सामूहिक रूप से नकल कराये जाने अर्थात ब्लैक बोर्ड से लिखवाने अथवा पुस्तक से बोल कर लिखाने की स्थिति से अवगत हैं तो सामूहिक नकल की जाँच की संस्तुति करेंगे।

(b). एक परीक्षा कक्ष में अधिकांश परीक्षार्थी नकल सामग्री से नकल करते अथवा अपने पास नकल सामग्री (मुद्रित अथवा हस्तलिखित अथवा इण्टरनेट अथवा इलेक्ट्रानिक गैजेट से उपलब्ध) रखे हुए अथवा नकल करते पकड़े जाएँ तो ऐसी स्थिति में भी समूह में नकल करने/सामूहिक नकल की संस्तुति की जाएगी।

(c). समूह में नकल का तात्पर्य होगा कि परीक्षार्थी नकल से सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित सामग्री रखे हुए अथवा इस्तेमाल करते हुए अथवा फेकते हुए देखा गया हो।

(d). सामूहिक नकल का आशय बिन्दु संख्या–06(**a** एवं **b**) में उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा।

(e). उड़ाका दल के पहुँचने पर यदि परीक्षा केन्द्र का मुख्य गेट बन्द रहता है और शीघ्र खोला नहीं जाता है तथा अन्दर जाने पर नकल सामग्री परीक्षा कक्ष के बाहर फेकी हुई पायी जाती है अथवा परीक्षा केन्द्र के किसी कर्मचारी द्वारा उसे जल्दी–जल्दी इकट्ठा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में सामूहिक नकल की संस्तुति की जाएगी। यदि गेट का ताला तत्काल नहीं खोला जाता है तो उड़ाका दल ताला तोड़ने हेतु अधिकृत होंगे।

7. **परीक्षार्थी यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पुस्तिका लिखते पाये जायेगे तो उस महाविद्यालय को सामूहिक नकल का दोषी माना जायेगा।**
8. **यदि उत्तर पुस्तिका अवांछित स्थलों यथा–परीक्षा कक्ष अथवा परीक्षा केन्द्र के बाहर पाई जायेगी तो उन्हें भी सामूहिक नकल के अन्तर्गत माना जायेगा।**

9. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हो रही हो तो समन्वयक उड़ाका दल टीम समूह में नकल में प्रयुक्त नकल सामग्री को इकट्ठा कर एक पैकेट में सील करके केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर के उपरान्त विश्वविद्यालय को हस्तगत कराएंगे। यदि परिस्थितियाँ आक्रामक हों तो नकल सामग्री को स्वयं सील कर विस्तृत आख्या के साथ संयोजक/परीक्षा नियंत्रक को हस्तगत करा देंगे तथा सम्भव हो तो स्थानीय पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी को आक्रामक स्थिति की सूचना देंगे।

10. यदि किसी परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति परीक्षा देते हुए पाया जायेगा तो उस व्यक्ति के विरूद्ध केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी तथा सम्बन्धित परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

11. समन्वयक उड़ाका दल टीम अनुचित साधन प्रयोग का बिन्दु संख्या–06(a से e तक) में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य प्रपत्र KV-8A में भरवायेगा। यदि परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जाएगा कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। अन्यथा की स्थिति में उड़ाका दल की रिपोर्ट अंतिम रूप से मान्य होगी।

12. समन्वयक, उड़ाका दल टीम अनुचित साधन प्रयोग में उड़ाका दल द्वारा पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को प्रपत्र KV-8A प्राप्त कर पूरित करने के पश्चात सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष को ही हस्तगत करा देंगे। पकड़ी गई अनुचित साधन सामग्री पर समन्वयक एवं टीम के अन्य सदस्य अपना हस्ताक्षर अवश्य करेंगे।

13. उड़ाका दल द्वारा पकड़े गए परीक्षार्थियों की कक्षा/अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र आदि विवरण तिथि सहित समन्वयक उड़ाका दल विश्वविद्यालय में संयोजक/उपकुलसचिव, (अनुचित साधन प्रकोष्ठ) को परीक्षा तिथि को ही सायं तक उपलब्ध करायेंगे।

14. उड़ाका दल के सदस्यों को परीक्षा केन्द्र की उपस्थिति पंजिका पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य नहीं होगा।

15. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 के बिन्दु संख्या–06(III) के निर्णयानुसार उड़ाका दल द्वारा नकल के सम्बन्ध में की गई संस्तुति को अन्तिम मानते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

16. सामूहिक अथवा समूह में नकल के आरोपित महाविद्यालय की उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित परीक्षा केन्द्र को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

17. नकल में अरोप सिद्ध होने पर महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र को कम से कम तीन वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।

नोट :– समस्त केन्द्राध्यक्ष उपर्युक्त निर्देशों को भली–भॉति पढ़ेंगे तथा कक्ष निरीक्षकों को अवगत कराएंगे एवं तद्नुरूप उड़ाका दल के कार्यो में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

*****